श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 24.03.2025 को आयोजित प्रमादी मिलर के विरूद्ध दायर नीलाम पत्र वाद के समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उपस्थिति पंजी अनुसार

1. जिला वार लंबित मामलों की स्थिति निम्नवत् हैः-

Sl. No	District	Total Certificate Cases Regeisterd Till date	Total Certificate Cases Disposed Till date	Certificate Cases Pending As on 21.03.2025	Money Involved in Pending Cases (In Cr)	Money Recovered from Starting till 31.12.2024 (In Cr)	Money Recovered from 01.01.2025 to 31.01.2025 (In Cr)	Money Recovered from 01.02.2025 to 28.02.2025 (In Cr)	Money Recovered from 01.03.2025 to 20.03.2025 (In Cr)	Certificate Cases Disposed In Last Three Months
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Saharsa	23	0	23	30.40	3.01	0	0	0	0
2	Madhepura	39	10	29	40.08	5.75	0	0	0	0
3	Supaul	42	8	34	26.48160	15.31382	0.02000	0.00500	0.02000	0

समीक्षा में यह पाया गया कि तीनों जिलों में राशि वसूली की प्रगति काफी धीमी है। विगत तीन माह में कोई भी नीलाम पत्र वाद का निष्पादन नहीं हुआ है। जो खेदजनक है। प्रतिवेदन के ऑकड़ों में भी भिन्नता आती है। राजस्व पर्षद को प्रतिवेदन भेजने के लिए जिला से समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है। एक लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद भी कई नीलाम पत्र वाद में BW/ DW निर्गत नहीं है। निर्गत BW/ DW के कार्यान्वयन की स्थिति भी शत-प्रतिशत नहीं है।

2. अतः निम्नांकित निदेश दिया जाता हैः-

(क) जिला वार ऑकड़ों की अंतिम समीक्षा करते हुए final प्रतिवेदन भेजा जाय।

(ख) संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह मामलों की सुनवाई करेंगे। सभी आवश्यक procedure अपनाते हुए BW/ DW निर्गत करेंगे। पुलिस अधीक्षक BW/ DW के समयबद्ध execution की व्यवस्था करेंगे। अन्य जिलों के प्रमादी मिलरों के विरूद्ध निर्गत BW/ DW का तामिला भी संगत नियमानुसार वारंट तामिला हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी विलंब के पुलिस अधीक्षक कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा निम्नांकित कठिनाईयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गयाः-

(क) यह बताया गया कि समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में 6 अपील वाद की सुनवाई प्रक्रियाधीन है, जबकि नीलाम पत्र वाद में अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है। समाहर्त्ता, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में अगली सुनवाई में बिना अंतिम आदेश के अपील वाद अधिग्रहित होने की जॉच करते हुए मामले का शीघ्र निष्पादन करेंगे।

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई मामले में Arbitration की कार्रवाई हुई है/प्रक्रियाधीन है। जिसके कारण PD Case की कार्रवाई स्थगित है।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर से एक रिट याचिका में No Coercive Action का आदेश वर्ष 2019 का है। जिसके कारण कई केस की कार्रवाई रूकी हुई है।

उपरोक्त ख एवं ग के संदर्भ में सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक-03-05/2025...../रा0 सहरसा, दिनांक मार्च,2025

प्रतिलिपि- समाहर्त्ता एवं पुलिस अधीक्षक, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा/ सभी संबंधित जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी /जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajek.
26/3/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा